[2024] 12 एससीआर 923: 2024 आईएनएससी 1006

मंसूर साहेब(मृत) एवं अन्य

बनाम

सलीमा(मृत) कानूनी उत्तरधिकारों के माध्यम से

(सिविल अपील संख्या 4211/2009)

(19 दिसंबर 2024)

[सी. टी. रविकुमार एवं संजय करोल*, न्यायमूर्तिगण]

विचारणीय मुद्दा

मोहम्मडन विधि के अंतर्गत, क्या संपत्ति का स्वामी अपने जीवनकाल में उक्त संपत्ति को विभाजन के माध्यम से अपने उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित कर सकता है; क्या वर्तमान मामले के तथ्यों में वैध उपहार (हिबा) के आवश्यक तत्व पूर्ण हुए थे; तथा क्या म्यूटेशन प्रविष्टि में प्रयुक्त नामकरण को आशय (इरादे) का द्योतक माना जा सकता है।

शीर्ष टिप्पणियां

मोहम्मडन विधि - स्वामी के जीवनकाल में विभाजन - क्या यह अनुमेय है:

अभिनिर्धारित: नहीं - मोहम्मडन विधि के अंतर्गत, किसी व्यक्ति के जीवित रहते हुए उसके और उसके उत्तराधिकारियों के बीच विभाजन अनुमेय नहीं है - मोहम्मडन विधि के अनुसार, उत्तराधिकारी का अधिकार प्रथम बार पूर्वज की मृत्यु के पश्चात ही उत्पन्न होता है और तब तक वह उस संपत्ति में, जिसमें वह उत्तराधिकारी के रूप में उत्तराधिकार प्राप्त कर सकता है, किसी भी प्रकार का हित प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता - अतः वर्तमान मामले में 'एस.एस.' अपने जीवनकाल में अपनी संपत्ति का विभाजन कर उसके दो भाग अपने पुत्रों (अपीलकर्ताओं) को प्रदान नहीं कर सकता था।
[पैरा 20, 21]

* लेखक

मोहम्मडन विधि - 'एस.एस.' द्वारा अपने पुत्रों के पक्ष में किया गया मौखिक उपहार (हिबा), क्या वैध उपहार था - अपीलकर्ताओं का यह कथन कि यद्यपि म्यूटेशन प्रविष्टि में 'विभाजन' शब्द का प्रयोग किया गया है, उसे 'उपहार' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए - म्यूटेशन प्रविष्टि में प्रयुक्त नामकरण, क्या आशय का द्योतक है:

अभिनिर्धारित: लेन-देन के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए केवल उसका सार महत्वपूर्ण है, न कि उसका रूप या नामकरण - 'विभाजन' और 'उपहार' दो भिन्न अवधारणाएँ हैं, जिनके लिए भिन्न-भिन्न आवश्यकताएँ, परिस्थितियाँ तथा परिणाम होते हैं - विभाजन सह-स्वामियों के बीच संपत्ति का बंटवारा है, जबकि उपहार बिना प्रतिफल के स्वेच्छा से विद्यमान संपत्ति का हस्तांतरण है - इन दोनों प्रकार के हस्तांतरण की विधिक आवश्यकताएँ भिन्न होती हैं, अतः इन्हें उदारतापूर्वक व्याख्यायित नहीं किया जा सकता - विचारणीय यह है कि दस्तावेज में प्रयुक्त शब्दों से व्यक्त आशय क्या है - दस्तावेज में प्रयुक्त शब्दों को उनकी प्राकृतिक भाषा में ही समझा जाना चाहिए - किसी भी दस्तावेज की व्याख्या करते समय शब्दों को सामान्य अथवा प्रचलित अर्थ दिया जाता है, जब तक कि उससे कोई असंगति उत्पन्न न हो - म्यूटेशन प्रविष्टि संख्या 8258 (Ex. P1) के अवलोकन से स्पष्ट है कि 'एस.एस.' ने अपने पुत्रों के पक्ष में 'विभाजन' किया - "SAKS द्वारा संपत्ति का विभाजन किया गया" जैसे शब्द स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि उसका आशय संपत्ति को तीन भागों में विभाजित करने का था, न कि अपने पुत्रों को उपहार देने का - यदि 'एस.एस.' का आशय उपहार देने का होता, तो म्यूटेशन प्रविष्टि में इसे उपहार के रूप में अभिलिखित किया जाना चाहिए था - यद्यपि अन्य दो आवश्यकताएँ, अर्थात् स्वीकृति एवं कब्जा, सिद्ध हो सकती हैं, तथापि स्पष्ट एवं निर्विवाद आशय की घोषणा का मूल तत्व पूर्ण नहीं होता - जब न तो म्यूटेशन प्रविष्टि के शब्द और न ही स्वयं प्रविष्टि अपीलकर्ताओं/मूल प्रतिवादियों के दावे का समर्थन करती है, तब न तो इसे उपहार माना जा सकता है और न ही इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उनके पास कोई स्वत्व (title) स्थापित हुआ - अतः 'एस.एस.' द्वारा अपने पुत्रों के पक्ष में किया गया कथित मौखिक उपहार वैध नहीं माना जा सकता - उपहार एवं विभाजन से संबंधित प्रश्नों पर विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की तर्कणा में कोई त्रुटि नहीं पाई जाती - अतः विचारण न्यायालय के आदेश, जिसे उच्च न्यायालय ने अनुमोदित किया है, की पुष्टि की जाती है। [पैरा 31-34, 36, 38]

मोहम्मडन विधि - उपहार विलेख - वैध उपहार (हिबा) के आवश्यक तत्व - निरूपित।

इस्लामी व्यक्तिगत विधि - स्रोत - विवेचित।

मोहम्मडन विधि - उपहार - पंजीकरण:

अभिनिर्धारित: पंजीकरण मोहम्मडन विधि के अंतर्गत आवश्यक नहीं है - दाता द्वारा प्राप्तकर्ताओं के पक्ष में किया गया अप्रलेखित एवं अपंजीकृत उपहार भी वैध होता है। [पैरा 27]

शब्द एवं वाक्यांश - 'विभाजन'; उपहार (हिबा) - अर्थ विवेचित।

उद्धृत निर्णयजन्य विधि

हफीजा बीबी बनाम एस.के. फरीद **[2011] 5 एससीआर 1155 : (2011) 5 एससीसी 654**; *एन. मणि बनाम संगीता थिएटर एवं अन्य* **(2004) 12 एससीसी 278**; *मैथाई सैमुअल बनाम ईपेन ईपेन* **[2012] 10 एससीआर 1098 : (2012) 13 एससीसी 80**; *बी.वी. नागेश बनाम एच.वी. श्रीनिवासमूर्ति* **[2010] 11 एससीआर 784 : (2010) 12 एससीसी 530**; *अब्दुल रहीम एवं अन्य बनाम स्क. अब्दुल ज़बर* **[2009] 4 एससीआर 32 : (2009) 6 एससीसी 160**; *के. महम्मद घौस साहिब बनाम जमिला बी एवं अन्य*, **1949 एससीसी ऑनलाइन मद्रास 433**; *शायरा बानो बनाम भारत संघ* **[2017] 9 एससीआर 797 : (2017) 9 एससीसी 1**; *शुभ करण बुबना बनाम सीता सरन बुबना* **[2009] 14 एससीआर 40 : (2009) 9 एससीसी 689**; *अब्दुल वहीद खान बनाम मुसम्मत नोरन बीबी एवं अन्य*, **1885 एससीसी ऑनलाइन पीसी 4**; *गुलाम अब्बास बनाम हाजी कय्यूम अली एवं अन्य* **[1973] 2 एससीआर 300 : (1973) 1 एससीसी 1**; *सैयद शाह गुलाम घौस मोहिउद्दीन बनाम सैयद शाह अहमद मोहिउद्दीन कामिसुल कादरी* **[1971] 3 एससीआर 734 : (1971) 1 एससीसी 597**; *आउटलाइन ऑफ मोहम्मडन लॉ*; *मोहम्मद अब्दुल गनी बनाम फखर जहां बेगम*, **1922 एससीसी ऑनलाइन पीसी 18**; *जमिला बेगम बनाम शमी मोहम्मद* **[2018] 13 एससीआर 1253 : (2019) 2 एससीसी 727**; *रशीदा खातून बनाम आशिक अली* **[2014] 11 एससीआर 31 : (2014) 10 एससीसी 459**; *हफीजा बीबी बनाम स्क. फरीद* **[2011] 5 एससीआर 1155 : (2011) 5 एससीसी 654**; *डी.एन. जोशी बनाम डी.सी. हैरिस* **[2017] 7 एससीआर 326 : (2017) 12 एससीसी 624**; *सवार्नी बनाम इंदर कौर* **[1996] सप्ली. 5 एससीआर 165 : (1996) 6 एससीसी 223**; *जितेन्द्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य*, **2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 802**; *पी. किशोर कुमार बनाम विट्टल के. पाटकर* **[2023] 14 एससीआर 796 : 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1483** - संदर्भित।

पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ उद्धृत

‘द मुस्लिम लॉ ऑफ इंडिया’, द्वितीय संस्करण, अध्याय 12 (उत्तराधिकार का विधि) - ताहिर महमूद; मुल्ला ऑन मोहम्मडन लॉ, पाँचवाँ संस्करण; एडवांस्ड लॉ लेक्सिकॉन - पी. रामनाथ अय्यर, तृतीय संस्करण (पुनर्मुद्रण 2009); मुल्ला प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मडन लॉ, 22वाँ संस्करण; मोहम्मडन लॉ - सैयद आमीर अली, चौथा संस्करण, खंड-I - **संदर्भित**।

प्रमुख शब्दों की सूची

मोहम्मडन विधि; ‘विभाजन’; उपहार (हिबा); व्यक्ति के जीवित रहते हुए विभाजन; मौखिक उपहार; वैध उपहार; म्यूटेशन प्रविष्टि; नामकरण; व्यक्ति के जीवनकाल में संपत्ति का हस्तांतरण; स्वीकृति; कब्जा; स्पष्ट एवं निर्विवाद आशय की घोषणा; वैध उपहार के आवश्यक तत्व; उपहार का पंजीकरण; अप्रलेखित उपहार; अपंजीकृत उपहार; दाता; प्राप्तकर्ता; ‘leave’, ‘leaves’; ‘मनुष्य की मृत्यु’; संपत्ति का विभाजन केवल व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात ही संभव; उत्तराधिकार; लेन-देन की प्रकृति; दस्तावेज में प्रयुक्त शब्द; प्राकृतिक अर्थ; प्रयुक्त भाषा; सामान्य अथवा प्रचलित अर्थ।

मामले की उत्पत्ति

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील संख्या 4211 वर्ष 2009

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु द्वारा आर.एफ.ए. संख्या 469 वर्ष 1998 में दिनांक 13.01.2006 को पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न

साथ में
सिविल अपील संख्या 4213 वर्ष 2009

अधिवक्तागण

बसव प्रभु एस. पाटिल, एस. एन. भट्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता; समर्थ कश्यप, वी. एन. रघुपाठी, राधाकृष्ण एस. हेगड़े, राजीव सिंह, तरुण कुमार ठाकुर, सुश्री पार्वती भट्ट, अभय चौधरी एम., विवेक राम आर., सुश्री अनुराधा मुतातकर, अधिवक्ता – उपस्थित पक्षकारों की ओर से।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

संजय करोल, न्यायाधीश

1. तात्कालिक अपीलें, जो मूल प्रतिवादियों (प्रत्यर्थियों) द्वारा दायर की गई हैं, दिनांक 13.01.2006 को कर्नाटक उच्च न्यायलय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न होती हैं, जिसके द्वारा मूल प्रतिवादियों द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया गया तथा प्रधान सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी)1, बीजापुर का न्यायालय द्वारा ओ.एस. सं. 140/1988 (O.S. No. 140 of 1988) में मूल वादियों (जो वर्तमान में उत्तरदाता हैं) के पक्ष में पारित डिक्री की पुष्टि की गई।

2. निस्संदेह, पक्षकार मोहम्मडन विधि द्वारा शासित हैं। हमारे विचारार्थ निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होते हैंः-

   (a) क्या किसी संपत्ति का स्वामी अपने जीवनकाल में उक्त संपत्ति को अपने उत्तराधिकारियों के बीच विभाजन के माध्यम से हस्तांतरित कर सकता है?

   (b) क्या इस वाद के तथ्यों में वैध उपहार की आवश्यक शर्तें पूरी हुई थीं तथा क्या म्यूटेशन प्रविष्टि में प्रयुक्त नामकरण को पक्षकारों की मंशा का संकेतक कहा जा सकता है?

<u>तथ्यात्मक परिदृश्य</u>

3. संक्षिप्त तथ्य परीक्षण न्यायालय में पक्षकारों की स्थिति के अनुसार संदर्भित करते हुए बताए जा रहे हैं।

4. सुल्तान साहेब नामक व्यक्ति, जो वाद पत्र की अनुसूची बी तथा सी में वर्णित क्रमशः कृषि भूमि और आवासीय संपत्ति के स्वामी थे, का निधन 09.01.1978 को हुआ। अपनी पहली शादी से उनकी एक पुत्री थी, जिसका नाम अजमुनिसा (प्रतिवादी सं. 11) है। पहली पत्नी के निधन के बाद उन्होंने पुनर्विवाह किया और इस दूसरी शादी से उनके तीन संतानें हुईं–दो पुत्र, अर्थात मंसूरसाहेब (प्रतिवादी सं. 1), सिकंदर (प्रतिवादी सं. 9) तथा एक पुत्री, अर्थात रबियाबी।

---

1. आगे 'विचारण न्यायालय' के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

वादी सं. 1 से 9 रबियाबी की संतानें हैं, जिनका निधन 08.06.1985 को हो गया था। प्रतिवादी सं. 2 मंसूरसाहेब की पत्नी हैं, प्रतिवादी सं. 3 से 7 उनके बच्चे हैं, प्रतिवादी सं. 8 प्रतिवादी सं. 1 की पुत्रवधू है। प्रतिवादी सं. 10 प्रतिवादी सं. 9 का पुत्र है।

समझ की सुविधा के लिए, पक्षकारों की स्थिति को एक पारिवारिक वंशवृक्ष के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है:

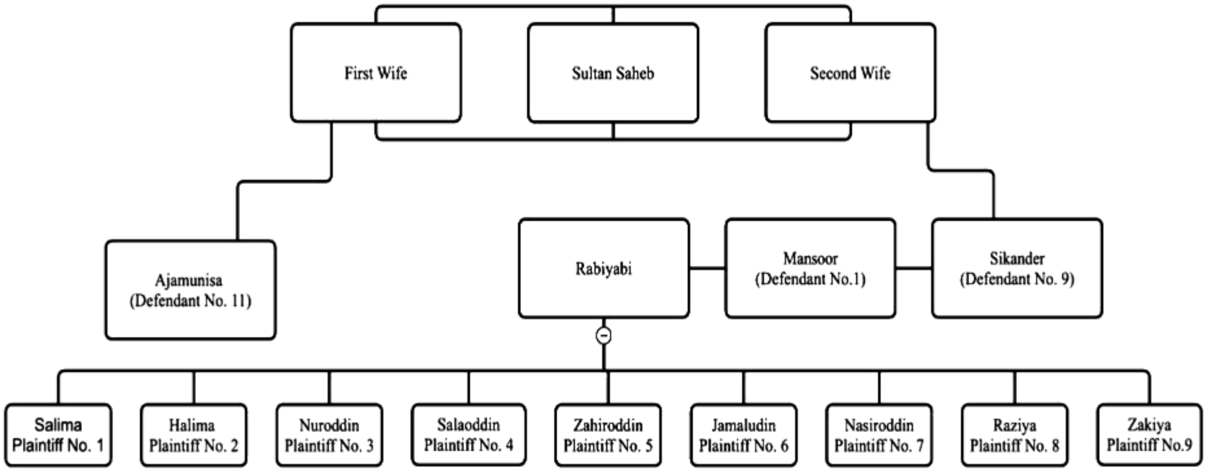

5. वादियों का कथन यह है कि सुल्तान साहेब वाद संपत्ति के स्वामी एवं कब्जाधारी थे। उनके निधन के पश्चात प्रतिवादी सं. 1 ने अपना नाम तथा प्रतिवादी सं. 9 एवं 11 के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज (म्यूटेशन) करा लिए, जबकि वादियों की माता रबियाबी, जो कि उत्तराधिकार में हित रखने वाली थीं, को इससे बाहर रखा गया। अतः वादी विभिन्न अनुसूचित संपत्तियों में 1/6वाँ हिस्सा पाने के अधिकारी हैं और इस हेतु ओ.एस. सं. 140/1988 के माध्यम से विभाजन की मांग की।
6. अपने लिखित बयान में प्रतिवादियों ने यह कहा कि सुल्तान साहेब ने स्वयं संपत्ति, आर.एस. नं. 249/1ए/1, को तीन भागों में विभाजित किया था, जिसमें से एक-एक भाग अपने पुत्रों को उपहार स्वरूप दे दिया और तीसरा शेष भाग अपने पास रखा। इसके पश्चात, सितंबर 1980 में उन्होंने अपने पास रखे गए तीसरे भाग का अपने चारों बच्चों के बीच विभाजन कर दिया। इस संबंध में दिनांक 21.01.1973 की म्यूटेशन प्रविष्टि सं. 8258 पर भरोसा किया गया है, जिसे वादियों द्वारा विवादित किया गया है।
7. विचारण न्यायालय ने तेरह मुद्दे निर्धारित किए और यह माना कि पुत्रों को मौखिक उपहार नहीं दिया गया था, क्योंकि उसकी आवश्यक शर्तें निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं हुई थीं। इसने

विभाजन के दावे को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि मोहम्मडन विधि के अंतर्गत स्वामी के जीवनकाल में संपत्ति का विभाजन किए जाने के लिए एक लिखित पंजीकृत दस्तावेज आवश्यक होता है। अभिलेख पर उपलब्ध गवाहों और साक्ष्यों का परीक्षण करने के पश्चात न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि वादी संयुक्त रूप से 1/6वाँ हिस्सा पाने के अधिकारी हैं, प्रतिवादी सं. 1 और 9 प्रत्येक 1/3 हिस्सा पाने के अधिकारी हैं तथा प्रतिवादी सं. 11 वाद अनुसूची की संपत्तियों में 1/6वाँ हिस्सा पाने की अधिकारी हैं।

8. अपीलों को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने उपहार तथा विभाजन दोनों मुद्दों पर विचारण न्यायालय के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की। इसने मोहम्मडन विधि के अंतर्गत इस स्थिति को पुनः दोहराया कि जब तक स्वामी जीवित रहता है, तब तक मुस्लिम विधि द्वारा शासित सदस्यों के बीच विभाजन की अवधारणा मान्य नहीं होती। उपहार के संबंध में यह कहा गया कि गवाहों के कथन मौखिक उपहार के दावे को सिद्ध करने में असफल रहे।

<u>पक्षकारों के निवेदन</u>

9. अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता श्री वी. एन. रघुपति ने यह प्रस्तुत किया कि अचल संपत्ति के हस्तांतरण को उपहार के माध्यम से प्रभावी बनाने के लिए लिखित दस्तावेज आवश्यक नहीं है। सुल्तान साहेब ने उपहार की घोषणा की थी, जिसे प्राप्तकर्ताओं द्वारा स्वीकार किया गया था और उन्हें कब्जा भी सौंप दिया गया था, जिसका प्रमाण म्यूटेशन प्रविष्टि सं. 8258 (प्रदर्श पी-1) से मिलता है। उन्होंने संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 129 पर भरोसा किया और यह प्रस्तुत किया कि उपहार के माध्यम से अचल संपत्ति के हस्तांतरण को प्रभावी बनाने के लिए लिखित दस्तावेज आवश्यक नहीं है। आगे ***<u>हफीज़ा बीबी बनाम एस.के. फ़रीद2</u>*** के निर्णय पर भी भरोसा किया गया, जिसमें मोहम्मडन विधि के अंतर्गत उपहार की तीन आवश्यक शर्तों का वर्णन किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया कि सुल्तान साहेब ने उपहार की घोषणा की, उसे प्राप्तकर्ताओं द्वारा स्वीकार किया गया और उन्हें कब्जा भी सौंप दिया गया, जो म्यूटेशन प्रविष्टि (प्रदर्श पी-1) से स्पष्ट है।

10. यह प्रस्तुत किया गया कि लेन-देन का गलत वर्णन 'वतनी/विभाजन' के रूप में, मौखिक उपहार के स्थान पर किए जाने के कारण वादियों ने यह तर्क दिया कि सुल्तान साहेब और उनके पुत्रों को संपत्ति का विभाजन करने का अधिकार नहीं था। किंतु यदि म्यूटेशन प्रविष्टि (प्रदर्श पी-1) में प्रयुक्त 'विभाजन' शब्द के स्थान पर 'मौखिक उपहार' माना जाए, तो शेष सामग्री से स्पष्ट होता है कि यह लेन-देन वास्तव में मौखिक उपहार था। आगे ***एन. मणि बनाम संगीता थिएटर एवं अन्य3*** तथा ***<u>मथल सैमुअल बनाम एपेन एपेन4</u>*** के निर्णयों पर भी

भरोसा किया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के रूप में अपने अधिकार-क्षेत्र का सही ढंग से प्रयोग नहीं किया, जिससे अपीलकर्ता अपने महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित हो गया। इस संबंध में अधिवक्ता ने ***बी. वी. नागेश बनाम एच. वी. श्रीनिवासमूर्ति***5के निर्णय का भी उल्लेख किया।

11. उत्तरदाताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. एन. भट्ट ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 21.01.1973 की म्यूटेशन प्रविष्टि सं. 8258 में केवल कथित विभाजन का ही उल्लेख है और अपीलकर्ताओं द्वारा जिस उपहार का आरोप लगाया गया है, उसका कोई उल्लेख नहीं है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि उक्त म्यूटेशन प्रविष्टि कथित रूप से राजस्व अधिकारियों को प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट ('वार्दी') के आधार पर की गई बताई जाती है, किंतु अपीलकर्ता-प्रतिवादियों ने ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। इसके अतिरिक्त यह प्रस्तुत किया गया कि हिंदू विधि के विपरीत, मोहम्मडन विधि द्वारा शासित बच्चों को कोई पूर्व-स्थित अधिकार प्राप्त नहीं होता; अतः स्वामी के जीवनकाल के दौरान संपत्तियों का मौखिक विभाजन संभव नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में वरिष्ठ अधिवक्ता ने ***अब्दुल रहीम एवं अन्य बनाम एस.के. अब्दुल जबार6*** तथा ***के. महम्मद गौस साहिब बनाम जमिला बी एवं अन्य7*** के निर्णयों पर भरोसा किया।

विधि का मूल्यांकन एवं विश्लेषण

12. प्रारंभ में हम अपने आपको व्यक्तिगत विधियों के संबंध में उस टिप्पणी की याद दिला सकते हैं, जो तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जे. एस. खेहर ने अपने असहमति निर्णय में ***शायरा बानो बनाम भारत संघ8*** में की थी:

"240 ... 'पर्सनल लॉ' शब्द की परिभाषा के संदर्भ में आर. एच. ग्रेव्सन द्वारा लिखित *कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज़* 188 (7वाँ संस्करण, 1974) में दिए गए वर्णन का भी उल्लेख किया गया, जिसमें उन्होंने इस शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया हैः

---

2. [2011] 5 एससीआर 1155 : (2011) 5 एससीसी 654
3. (2004) 12 एससीसी 278
4. [2012] 10 एससीआर 1098 : (2012) 13 एससीसी 80
5. [2010] 11 एससीआर 784 : (2010) 12 एससीसी 530
6. [2009] 4 एससीआर 32 : (2009) 6 एससीसी 160
7. 1949 एससीसी ऑनलाइन मद्रास 433
8. [2017] 9 एससीआर 797 : (2017) 9 एससीसी 1

"पर्सनल लॉ की अवधारणा मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानने की धारणा पर आधारित है, ताकि उसके दैनिक जीवन के वे लेन-देन, जो उसे व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, जैसे विवाह, तलाक, वैधता, क्षमता के अनेक प्रकार तथा उत्तराधिकार, उस विधि-प्रणाली द्वारा सार्वभौमिक रूप से शासित किए जा सकें, जिसे इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त और पर्याप्त माना गया हो ..."

(मूल में ही जोर दिया गया)

...

322. "पर्सनल लॉ" को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। यह संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 25 के माध्यम से "पर्सनल लॉ" को प्रदान किया गया है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि "पर्सनल लॉ" का दर्जा एक मौलिक अधिकार के समान है। "पर्सनल लॉ" को यह दर्जा तब प्राप्त हुआ जब संविधान लागू हुआ, क्योंकि अनुच्छेद 25 को संविधान के भाग III में सम्मिलित किया गया। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय का "पर्सनल लॉ" अनुच्छेद 25 में प्रदत्त प्रावधानों को छोड़कर हस्तक्षेप और उल्लंघन से संरक्षित है।"

(जोर दिया गया)

13. मोहम्मडन विधि, जो कि व्यक्तिगत विधि है, अपने स्वयं के विधिक सिद्धांतों और प्रावधानों को समाहित करती है, जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, अभिरक्षा तथा संरक्षकता जैसे पारिवारिक संबंधों से संबंधित मामलों को नियंत्रित करते हैं। इसकी विशिष्ट विशेषता इसे मूलभूत मुद्दों पर अन्य व्यक्तिगत विधियों से अलग करती है। अतः यह आवश्यक है कि मोहम्मडन विधि के अंतर्गत विभाजन को नियंत्रित करने वाले विधिक सिद्धांतों, यदि कोई हों, का परीक्षण किया जाए।

14. ताहिर महमूद[9] ने अपनी पुस्तक 'द मुस्लिम लॉ ऑफ इंडिया', द्वितीय संस्करण, अध्याय 12 (उत्तराधिकार का विधि) पैरा II में मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं का उल्लेख किया है, जो इसे अन्य व्यक्तिगत विधियों से भिन्न बनाती हैं:

---

9. लेखक इस्लामी विधि के एक मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने इस विषय पर अनेक प्रशंसित कृतियाँ लिखी हैं। वे दिल्ली विश्वविद्यालय में विधि के सेवानिवृत्त प्रोफेसर रहे हैं तथा नई दिल्ली स्थित इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ में इस्लामी विधि विभाग के संस्थापक रहे हैं।

"1. मुस्लिम उत्तराधिकार का विधि भारत की समानांतर स्वदेशी प्रणालियों से मूलतः भिन्न है। जन्मस्वत्ववाद (जन्म से अधिकार) का सिद्धांत, जो *मिताक्षरा उत्तराधिकार विधि* की आधारशिला है, मुस्लिम विधि में पूर्णतः अज्ञात है। इस्लाम में उत्तराधिकार का विधि अपेक्षाकृत शास्त्रीय *दायभाग विधि* के निकट है, यद्यपि कई मूलभूत बिंदुओं पर उससे भी भिन्न है। हालांकि आधुनिक हिंदू उत्तराधिकार विधि (जैसा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में निर्धारित है) उपर्युक्त दोनों शास्त्रीय प्रणालियों से काफी भिन्न है; किंतु कुछ दृष्टियों से इसकी मुस्लिम उत्तराधिकार विधि से उल्लेखनीय निकटता है।

2. दाय (उत्तराधिकार संपत्ति) का सप्रतिबंध ('अवरोधित') और अप्रतिबंध ('अनवरोधित') – स्व-अर्जित तथा पैतृक – में विभाजन भी मुस्लिम विधि से पूर्णतः अपरिचित है। जो भी संपत्ति कोई व्यक्ति उत्तराधिकार में प्राप्त करता है (चाहे अपने पूर्वजों से या अन्य किसी से), वह मुस्लिम विधि के अनुसार उस व्यक्ति की पूर्ण स्वामित्व वाली संपत्ति होती है – चाहे वह व्यक्ति पुरुष हो या महिला।

3. <u>मुस्लिम विधि में, जब तक कोई व्यक्ति जीवित रहता है, वह अपनी संपत्ति का पूर्ण स्वामी होता है; उसमें किसी अन्य व्यक्ति (पुत्र सहित) का कोई अधिकार नहीं होता। केवल स्वामी की मृत्यु होने पर–और उससे पहले कभी नहीं–उत्तराधिकारियों के विधिक अधिकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए किसी संभावित उत्तराधिकारी द्वारा अपने भावी उत्तराधिकार के अधिकार के संबंध में किसी भी प्रकार का व्यवहार करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।</u>

4. <u>भारतीय विधि की 'संयुक्त' या 'अविभाजित' परिवार, 'सहभोजिता (coparcenary)', कर्ता, 'उत्तरजीविता (survivorship)' तथा 'विभाजन' आदि की अवधारणाओं का इस्लामी विधि में कोई स्थान नहीं है। पिता और उसका पुत्र साथ रहने मात्र से 'संयुक्त परिवार' नहीं बनाते; पिता अपनी संपत्ति का स्वामी होता है और पुत्र (चाहे वह अल्पवयस्क ही क्यों न हो) उसकी संपत्ति में कोई अधिकार नहीं रखता, यदि ऐसा कोई अधिकार हो भी। यही स्थिति भाइयों या अन्य व्यक्तियों के साथ रहने पर भी होती है।</u>

5. शास्त्रीय भारतीय विधि के विपरीत, महिला होना संपत्ति के उत्तराधिकार में कोई बाधा नहीं है। केवल लिंग के आधार पर किसी भी महिला को उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जाता। महिलाओं को, पुरुषों की तरह, संपत्ति को स्वतंत्र रूप से उत्तराधिकार में प्राप्त करने का अधिकार है, न कि केवल भरण-पोषण प्राप्त करने या 'भरण-पोषण के बदले' संपत्ति रखने का। इसके अतिरिक्त, जो भी महिला किसी संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करती है, वह

पुरुष की भाँति उसकी पूर्ण स्वामिनी होती है; 'स्त्रीधन' या महिला की 'सीमित संपत्ति' की ऐसी कोई अवधारणा नहीं है जो उसकी मृत्यु पर अन्य लोगों को वापस चली जाए।

6. मृतक पुरुष हो या महिला, उत्तराधिकार की वही व्यवस्था लागू होती है। यह मुस्लिम उत्तराधिकार विधि की उन प्रमुख विशेषताओं में से एक है, जो इसे आधुनिक हिंदू उत्तराधिकार विधि से अलग करती है।"

(जोर दिया गया)

15. मोहम्मडन विधि के अंतर्गत संपत्ति के अवक्रमण की स्थिति को मुल्ला ऑन मोहम्मडन लॉ, 5वाँ संस्करण के अध्याय 22–उत्तराधिकार और विरासत का विधि–में संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त किया गया है: "सभी संपत्तियाँ उत्तराधिकार के द्वारा अवक्रमित होती हैं, अतः उत्तराधिकारियों के अधिकार केवल पूर्वज की मृत्यु पर ही उत्पन्न होते हैं। संपूर्ण संपत्ति उनमें निहित हो जाती है।" मोहम्मडन विधि में उत्तराधिकार के सुव्यवस्थित नियम हैं, जो पूर्वज की मृत्यु के पश्चात प्रभावी होते हैं, और इसकी नीति यह रही है कि स्वामी को ऐसे सुव्यवस्थित नियमों में हस्तक्षेप करने से रोका जाए। यदि किसी व्यक्ति को अपने जीवनकाल में संपत्ति का हस्तांतरण करना हो, तो वह मुख्यतः उपहार (हिबा) के माध्यम से ऐसा कर सकता है। अन्य तरीकों में वसीयत लिखना भी शामिल है, किंतु उसमें भी कुछ प्रतिबंध निर्धारित किए गए हैं।

16. उपरोक्त स्रोतों पर विचार करने से पूर्व, विभाजन की सामान्य समझ भी उपयोगी होगी। एडवांस्ड लॉ लेक्सिकॉन10 ने विभाजन को इस प्रकार परिभाषित किया है कि यह संयुक्त स्वामियों या सह-स्वामियों के बीच उनकी भूमि में संबंधित हितों का पृथक्करण है और ऐसे हितों को अलग कर देना है, ताकि वे उन्हें अलग-अलग रूप से उपभोग और कब्जे में रख सकें। ***<u>शुभ करण बुबना बनाम सीता सरन बुबना11</u>*** में विभाजन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

"5. <u>"विभाजन" का अर्थ सह-स्वामियों/सहभोजिताओं के बीच पूर्ववर्ती अधिकारों का पुनर्वितरण या समायोजन है, जिसके परिणामस्वरूप उनके द्वारा संयुक्त रूप से धारित भूमि या अन्य संपत्तियों का विभिन्न हिस्सों या भागों में विभाजन किया जाता है और उन्हें संबंधित आवंटित व्यक्तियों को सौंप दिया जाता है।</u>

---

10. पी. रामनाथ अय्यर, तृतीय संस्करण (पुनर्मुद्रण 2009)

11. [2009] 14 एससीआर 40 : (2009) 9 एससीसी 689

ऐसे विभाजन का प्रभाव यह होता है कि संयुक्त स्वामित्व समाप्त हो जाता है और उनके-अपने हिस्से अलग-अलग रूप में उनमें निहित हो जाते हैं।

6. किसी संपत्ति का विभाजन केवल उन्हीं व्यक्तियों के बीच हो सकता है जिनका उसमें हिस्सा या हित हो। जिस व्यक्ति का ऐसी संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं है, वह स्पष्ट रूप से विभाजन का पक्षकार नहीं हो सकता। "हिस्से का पृथक्करण" "विभाजन" का ही एक प्रकार है। जब सभी सह-स्वामी अलग हो जाते हैं, तब उसे विभाजन कहा जाता है। हिस्से का पृथक्करण उस स्थिति को दर्शाता है जहाँ कई सह-स्वामियों/सहभोजिताओं में से केवल एक या कुछ ही अलग होते हैं और अन्य संयुक्त ही रहते हैं या शेष संपत्ति को बिना सीमांकन के संयुक्त रूप से धारण करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, जहाँ चार भाई किसी संपत्ति के स्वामी होते हुए उसे सीमांकन के साथ आपस में बाँट लेते हैं, तो वह विभाजन होता है। लेकिन यदि केवल एक भाई अपना हिस्सा अलग करना चाहता है और अन्य तीन भाई संयुक्त ही रहते हैं, तो वह केवल एक भाई के हिस्से का पृथक्करण कहलाता है।"

(जोर दिया गया)

17. अब हम मोहम्मडन विधि के अंतर्गत स्थिति पर विचार करते हैं। संभावित उत्तराधिकारी का अधिकार पहली बार पूर्वज की मृत्यु पर ही उत्पन्न होता है और तब तक उसे उस संपत्ति में कोई हित प्राप्त नहीं होता, जिस पर वह उत्तराधिकारी के रूप में अधिकार प्राप्त कर सकता है, यदि वह पूर्वज से अधिक जीवित रहे [देखें: मुल्ला प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मडन लॉ, 22वाँ संस्करण, अध्याय 6; ***अब्दुल वाहिद खान बनाम मुसम्मत नोरन बीबी एवं अन्य***]12। इस संदर्भ में ***गुलाम अब्बास बनाम हाजी कय्यूम अली एवं अन्य13*** के निर्णय का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ ने, यद्यपि उत्तराधिकार के त्याग के संबंध में, निम्न प्रकार से टिप्पणी की:

"7. सर रोलैंड विल्सन ने अपनी पुस्तक "एंग्लो मोहम्मडन लॉ" (पृष्ठ 260, पैरा 208) में स्थिति को इस प्रकार बताया है:

"उन पाठकों की सुविधा के लिए, जो हिंदू विधि के सर्वाधिक प्रचलित संप्रदाय के अनुसार पिता और पुत्र के संयुक्त स्वामित्व से परिचित हैं, यह स्पष्ट रूप से बताना आवश्यक है कि मोहम्मडन विधि में, जैसे कि रोमन और अंग्रेजी विधि में, *nemo est heres viventis* ... अर्थात जीवित व्यक्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। संभावित या अनुमानित उत्तराधिकारी का ऐसा कोई प्रत्यावर्ती हित नहीं होता, जो उसे कब्जाधारी स्वामी द्वारा की गई किसी बिक्री या उपहार का विरोध करने में सक्षम बनाए; देखें अब्दुल वहिद, एल.पी. 12 आई.ए., 91, तथा 11 कलकत्ता 597 (1885), जिसका अनुसरण हसन अली, 11 इलाहाबाद 456 (1889)

में किया गया। इसका विपरीत भी सत्य है: पूर्वज के जीवनकाल में किसी संभावित उत्तराधिकारी द्वारा किया गया त्याग, उत्तराधिकार के निहित होने के पश्चात उसके विरुद्ध वैध या प्रवर्तनीय नहीं होता।"

(जोर दिया गया)

यह भी ध्यान देने योग्य है कि आंशिक विभाजन का सिद्धांत मोहम्मडन विधि पर लागू नहीं होता, क्योंकि उसमें उत्तराधिकारी सह-स्वामी (tenants-in-common) होते हैं। उत्तराधिकार संबंधित संपत्ति के निश्चित अंश में होता है। ए. एन. रे, न्यायमूर्ति (जैसा कि उस समय उनके लॉर्डशिप थे) ने **सैयद शाह गुलाम गौस मोहिउद्दीन बनाम सैयद शाह अहमद मोहिउद्दीन कामिसुल क़ादरी14** में इस प्रकार लिखा:

"20. ... मोहम्मडन विधि में आंशिक विभाजन का सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि उत्तराधिकारी सह-स्वामी होते हैं और मृत मुस्लिम के उत्तराधिकारी उसकी संपत्ति के प्रत्येक भाग में निश्चित अंश के उत्तराधिकारी होते हैं। मोहम्मडन विधि के अंतर्गत उत्तराधिकारियों के हिस्से वास्तविक विभाजन से पहले ही निश्चित और ज्ञात होते हैं। इसलिए किसी मृत मुस्लिम की संपत्तियों के विभाजन के समय सीमांकन के साथ विभाजन किया जाता है, जो प्रत्येक उत्तराधिकारी के उस विशिष्ट हिस्से के अनुसार होता है, जो पहले से ही विधि द्वारा निर्धारित होता है।

18. यह स्वीकार किया जाता है कि इस्लामी विधि के चार स्रोत हैं– (i) कुरान (ii) हदीस (iii) इज्मा और (iv) क़ियास। सामान्यतः यह माना जाता है कि समस्त इस्लामी व्यक्तिगत विधि का उद्गम इन्हीं चार स्रोतों से होता है। इन चार स्रोतों के बीच भी एक सामान्यतः स्वीकृत क्रम है। कुरान सर्वोपरि है और उसे सर्वप्रथम स्थान प्राप्त है, जिसके बाद शेष तीन उसी क्रम में आते हैं। इन अपीलों में भी उत्तराधिकार और/या उपहार से संबंधित प्रश्न का निर्णय इन्हीं के संदर्भ में किया जाना आवश्यक है। उत्तराधिकार का विषय मुख्यतः कुरान 15 के अध्याय 4, अल-निसा में वर्णित है। संबंधित आयतें इस प्रकार हैं:

"4:11 अल्लाह तुम्हें तुम्हारी संतान के संबंध में आदेश देता है: पुरुष का हिस्सा स्त्री के हिस्से से दुगुना होगा। यदि केवल दो या दो से अधिक स्त्रियाँ हों, तो उन्हें संपत्ति का दो-तिहाई हिस्सा मिलेगा। लेकिन यदि केवल एक स्त्री हो, तो उसका हिस्सा आधा होगा। यदि तुम्हारी संतान हो, तो प्रत्येक माता-पिता को एक-छठा हिस्सा प्राप्त होगा। लेकिन यदि तुम्हारी कोई संतान न हो और तुम्हारे माता-पिता ही उत्तराधिकारी हों, तो तुम्हारी माता को एक-तिहाई हिस्सा मिलेगा। लेकिन यदि तुम्हारे भाई-बहन हों, तो तुम्हारी माता को एक-छठा

हिस्सा मिलेगा–वसीयतों और ऋणों की पूर्ति के बाद। अपने माता-पिता और अपनी संतान के प्रति न्यायपूर्ण रहो, क्योंकि तुम पूरी तरह नहीं जानते कि उनमें से कौन तुम्हारे लिए अधिक लाभकारी है। यह अल्लाह की ओर से निर्धारित दायित्व है। निश्चय ही अल्लाह सर्वज्ञ, सर्वबुद्धिमान है।

4:12 यदि तुम्हारी पत्नियाँ संतान रहित हों, तो तुम उनकी छोड़ी हुई संपत्ति का आधा भाग प्राप्त करोगे। लेकिन यदि उनकी संतान हो, तो वसीयतों और ऋणों की पूर्ति के बाद तुम्हारा हिस्सा संपत्ति का एक-चौथाई होगा। और यदि तुम संतान रहित हो, तो तुम्हारी पत्नियाँ तुम्हारी छोड़ी हुई संपत्ति का एक-चौथाई भाग प्राप्त करेंगी। लेकिन यदि तुम्हारी संतान हो, तो वसीयतों और ऋणों की पूर्ति के बाद तुम्हारी पत्नियों को तुम्हारी संपत्ति का एक-आठवाँ हिस्सा मिलेगा। और यदि कोई पुरुष या स्त्री न तो माता-पिता और न ही संतान छोड़ता है, बल्कि केवल एक भाई या एक बहन (माता की ओर से) छोड़ता है, तो उनमें से प्रत्येक को एक-छठा हिस्सा मिलेगा; लेकिन यदि वे एक से अधिक हों, तो वे सभी संपत्ति के एक-तिहाई भाग में सहभागी होंगे–वसीयतों और ऋणों की पूर्ति के बाद, उत्तराधिकारियों को हानि पहुँचाए बिना। यह अल्लाह का आदेश है। और अल्लाह सर्वज्ञ तथा अत्यंत सहनशील है।

4:176 वे आपसे (हे नबी) निर्णय पूछते हैं। कह दीजिए, "अल्लाह तुम्हें उन लोगों के संबंध में निर्णय देता है जो बिना संतान या माता-पिता के मरते हैं।" यदि कोई पुरुष संतान रहित मरता है और अपने पीछे एक बहन छोड़ता है, तो उसे उसकी संपत्ति का आधा भाग मिलेगा, जबकि यदि वह बहन संतान रहित मरती है तो उसका भाई उसकी पूरी संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। यदि वह व्यक्ति अपने पीछे दो बहनें छोड़ता है, तो वे दोनों मिलकर संपत्ति के दो-तिहाई की उत्तराधिकारी होंगी। लेकिन यदि मृतक अपने पीछे पुरुष और महिला भाई-बहन छोड़ता है, तो पुरुष का हिस्सा दो महिलाओं के हिस्से के बराबर होगा। अल्लाह यह बात तुम्हें स्पष्ट करता है ताकि तुम भटक न जाओ। और अल्लाह को सभी बातों का पूर्ण ज्ञान है।"

19. उपर्युक्त आयतों के पठन से 'छोड़ता है', 'छोड़ें' या 'कोई पुरुष मरता है' जैसे शब्दों के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि संपत्ति का विभाजन केवल किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात ही उसके उत्तराधिकारियों के बीच संभव है। किसी व्यक्ति के जीवित रहते हुए संपत्ति के विभाजन का किस प्रकार किया जाए, इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

20. प्राथमिक ग्रंथों और मोहम्मडन विधि पर टिप्पणियों का संदर्भ लेने पर यह युक्तिसंगत निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी व्यक्ति के जीवित रहते हुए उसके और उसके

उत्तराधिकारियों के बीच विभाजन अनुमेय नहीं है। पूर्वज की मृत्यु के पश्चात विभाजन किस प्रकार किया जाएगा, इसका विस्तृत वर्णन मोहम्मडन विधि के स्रोतों में किया गया है, तथापि वह वर्तमान वाद के दायरे से बाहर है।

21. अतः सुल्तान साहेब अपने जीवनकाल में अपनी संपत्ति का विभाजन कर अपने पुत्रों को उसके दो भाग नहीं दे सकते थे। यह विधि के अनुरूप नहीं है। उक्त संपत्ति में उनके पिता के हित के उत्तराधिकारी होने की संभावना केवल 1978 में सुल्तान साहेब की मृत्यु होने पर ही उत्पन्न हो सकती थी। जब 1978 में उनकी मृत्यु के पश्चात संपत्ति का विभाजन होता, तब अपीलकर्ताओं तथा यहाँ के उत्तरदाताओं को मोहम्मडन विधि के अनुसार निर्धारित हिस्से प्राप्त होते। जैसा कि ऊपर पहले ही उल्लेख किया गया है, सुल्तान साहेब द्वारा अपनी संपत्ति के दो भाग अपने दो पुत्रों को देने का एकमात्र अनुमेय तरीका हिबा के माध्यम से ही हो सकता था, जिसकी आवश्यकताओं का उल्लेख इस निर्णय में आगे किया गया है।

22. अब हम निर्णय के लिए उत्पन्न अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं, अर्थात् यहाँ के अपीलकर्ताओं का यह दावा कि उनके पिता सुल्तान साहेब ने वास्तव में अपनी संपत्ति के दो भाग उन्हें उपहार स्वरूप दे दिए थे।

23. अब हम उस विधि का परीक्षण करते हैं जो मोहम्मडन विधि के अंतर्गत मौखिक उपहार और उनकी वैधता से संबंधित है। हिबा का शाब्दिक अर्थ है "किसी वस्तु का दान, जिससे प्राप्तकर्ता लाभ प्राप्त कर सके।" तकनीकी रूप से यह "*किसी संपत्ति का बिना किसी विनिमय या प्रतिफल के, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को तत्काल और बिना शर्त किया गया हस्तांतरण है, जिसे बाद वाले द्वारा या उसकी ओर से स्वीकार किया जाता है।*"16

24. मौखिक उपहार की स्थिति विधि न्यायालयों द्वारा भली-भाँति स्थापित की जा चुकी है। 'आउटलाइन्स ऑफ मोहम्मडन लॉ'17 में ए. ए. फ़ैज़ी ने 'उपहार' का वर्णन इस प्रकार किया है:

---

12. 1885 एससीसी ऑनलाइन पीसी 4
13. [1973] 2 एससीआर 300: (1973) 1 एससीसी 1
14. [1971] 3 एससीआर 734 : (1971) 1 एससीसी 597
15. https://quran.com/4
16. हेदाया, पृष्ठ 482
17. (2009) 6 एससीसी 160

“कोई व्यक्ति अपने जीवनकाल में अपनी संपत्ति का उपहार विधिपूर्वक किसी अन्य को दे सकता है; या वह अपनी मृत्यु के पश्चात वसीयत के माध्यम से उसे किसी को दे सकता है। पहले को ‘इंटर विवोस’ प्रकार का हस्तांतरण कहा जाता है; दूसरे को वसीयतनामा संबंधी हस्तांतरण कहा जाता है। मोहम्मडन विधि दोनों प्रकार के हस्तांतरणों की अनुमति देती है; किंतु जहाँ ‘इंटर विवोस’ प्रकार का हस्तांतरण मात्रा के संबंध में निर्बाध होता है, वहीं वसीयतनामा संबंधी हस्तांतरण शुद्ध संपत्ति के एक-तिहाई तक सीमित होता है। मोहम्मडन विधि किसी व्यक्ति को अपने जीवनकाल में अपनी संपूर्ण संपत्ति उपहार में देने की अनुमति देती है, किंतु वसीयत द्वारा उसकी केवल एक-तिहाई संपत्ति ही दी जा सकती है।”

अमीर अली ने ‘हिबा’ को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है:

“हिबा किसी संपत्ति या वस्तु के सार का बिना प्रतिफल के, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छा से किया गया उपहार है, जिससे प्राप्तकर्ता उस उपहार की विषय-वस्तु का स्वामी बन जाता है।”

सैयद अमीर अली द्वारा लिखित मोहम्मडन विधि18 का उल्लेख करते हुए, प्रिवी काउंसिल ने ***मोहम्मद अब्दुल गनी बनाम फ़खर जहाँ बेगम19*** में इस प्रकार अवलोकन किया:

“इस मामले में लागू मोहम्मडन कानून के अनुसार **जीवनकाल में दिए गए वैध उपहार (inter vivos gift)** के लिए तीन शर्तें आवश्यक हैं, जिन्हें उनके लॉर्डशिप ने इस प्रकार सही रूप से बताया है: (a) <u>दाता (donor) की ओर से उपहार देने की इच्छा का स्पष्ट प्रकट होना; (b) प्राप्तकर्ता (donee) द्वारा उस उपहार को स्वीकार करना, चाहे वह स्पष्ट रूप से हो या संकेत रूप में; और (c) उपहार की वस्तु पर प्राप्तकर्ता द्वारा कब्जा लेना, चाहे वह वास्तविक (actually) हो या रचनात्मक/प्रतीकात्मक (constructively)</u>।”

(ज़ोर दिया गया)

इस न्यायालय ने **जमिला बेगम बनाम शमी मोहम्मद**20 में, **अब्दुल रहीम (उपर्युक्त),21** में निर्धारित वैध और पूर्ण उपहार (गिफ्ट) की आवश्यकताओं को पुनः दोहराया:

---

18. चतुर्थ संस्करण, खंड-I, पृष्ठ 41

19. 1922 एससीसी ऑनलाइन पीसी 18

20. [2018] 13 एससीआर 1253 : (2019) 2 एससीसी 727

21. (2009) 6 एससीसी 160

“23. मोहम्मदन कानून के अंतर्गत, निस्संदेह, मौखिक उपहार (गिफ्ट) करना स्वीकार्य है। 13. मोहम्मदन कानून के अंतर्गत वैध और पूर्ण उपहार (गिफ्ट) करने की शर्तें निम्नलिखित हैं:

(a) दाता (donor) का स्वस्थ मस्तिष्क वाला और वयस्क होना चाहिए तथा वह उस संपत्ति का मालिक होना चाहिए जिसे वह उपहार (गिफ्ट) में दे रहा है।
(b) जो वस्तु उपहार में दी जा रही है, वह हिबा के समय अस्तित्व में होनी चाहिए।
(c) यदि उपहार में दी जाने वाली वस्तु विभाज्य है, तो उसे अलग करके स्पष्ट रूप से पृथक किया जाना चाहिए।
(d) उपहार में दी जाने वाली वस्तु ऐसी संपत्ति होनी चाहिए जिससे लाभ उठाना शरीअत के अंतर्गत वैध हो।
(e) उपहार में दी जाने वाली वस्तु के साथ ऐसी चीजें सम्मिलित नहीं होनी चाहिए जो उपहार में नहीं दी गई हैं; अर्थात वह ऐसी चीजों से मुक्त होनी चाहिए जो उपहार का हिस्सा नहीं हैं।
(f) उपहार में दी गई वस्तु का कब्जा स्वयं प्राप्तकर्ता (donee) या उसके प्रतिनिधि, अभिभावक या कार्यपालक (executor) को मिलना चाहिए।

मुल्ला ऑन मोहम्मडन लॉ,22 में उपहार (गिफ्ट/हिबा) किस प्रकार किया जाना चाहिए, इसके संबंध में प्रावधान किया गया है, जो इस प्रकार हैं:

“दाता या उसके अभिकर्ता द्वारा मौखिक या लिखित रूप में उपहार करने की मंशा की स्पष्ट और निर्विवाद घोषणा द्वारा, और”

i. “जिसे प्राप्तकर्ता (donee) या उसके अभिकर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से या निहित रूप से स्वीकार किया गया हो, सिवाय उस स्थिति के जब उपहार,”
   a. अभिभावक द्वारा अपने वार्ड (संरक्षित/अभिभाव्य) को; या
   b. ऋण के मामले में, देनदार को; और
ii. ऐसी घोषणा और स्वीकृति के बाद दाता या उसके अभिकर्ता द्वारा उपहार की विषय-वस्तु का कब्जा (वास्तविक रूप से या सांकेतिक रूप से) सौंपा जाना चाहिए,

---

22. पंचम संस्करण

a. प्राप्तकर्ता या उसके अभिकर्ता को; या

b. अभिभावक को, यदि प्राप्तकर्ता नाबालिग या विक्षिप्त हो; या

c. पति को, यदि प्राप्तकर्ता नाबालिग पत्नी हो, बशर्ते कि विवाह संपन्न हो चुका हो; या

d. न्यासियों (ट्रस्टी) को, यदि उपहार ट्रस्ट के माध्यम से किया गया हो।

iii. कब्जा सौंपे जाने पर, उपहार तुरंत पूर्ण हो जाता है।

(ज़ोर दिया गया)

25. उपरोक्त चर्चा का सार यह है कि एक वैध उपहार विलेख के लिए तीन आवश्यक तत्व हैं। वे इस प्रकार हैं:

a) उपहार देने वाले व्यक्ति अर्थात् दाता द्वारा उपहार की घोषणा किया जाना आवश्यक है;

b) ऐसे उपहार को प्राप्तकर्ता द्वारा या उसकी ओर से, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए; और

c) घोषणा और स्वीकृति के अतिरिक्त, उपहार के वैध होने के लिए कब्जा सौंपे जाने की भी आवश्यकता होती है।

26. यह एक तथ्य है कि उपहार विलेख की वैधता के लिए आवश्यक शर्तें क्रमिक होती हैं। एक के बाद दूसरी का पालन होना चाहिए। बाद वाली तभी प्रभावी हो सकती है जब पहली का पालन किया गया हो। दूसरे शब्दों में, यदि (a) का पालन नहीं किया गया है, तो (b) और (c) का कोई महत्व नहीं होगा; इसी प्रकार, यदि (a) और (c) का पालन किया गया हो, लेकिन (b) का नहीं, तो भी उसका कोई परिणाम नहीं होगा। अंततः, तीनों शर्तों का पूरा होना आवश्यक है।

27. अतः मोहम्मदन कानून के अंतर्गत उपहार का पंजीकरण आवश्यक नहीं है और दाता द्वारा प्राप्तकर्ताओं के पक्ष में किया गया अलिखित और अपंजीकृत उपहार वैध होता है। इस स्थिति को इस न्यायालय द्वारा विभिन्न अवसरों पर पुनः दोहराया गया है। हम उनमें से कुछ का उल्लेख कर सकते हैं।

रशीदा खातून बनाम आशिक अली),23 में यह उल्लेख किया गया:

"17. ...मोहम्मदन कानून के अंतर्गत उपहार मौखिक भी हो सकता है और उसका पंजीकरण आवश्यक नहीं है; यह कि लिखित दस्तावेज़ होने मात्र से प्रत्येक परिस्थिति में पंजीकरण आवश्यक नहीं हो जाता; यह कि मोहम्मदन कानून के अंतर्गत वैध उपहार के लिए तीन

आवश्यक तत्व, अर्थात् (i) दाता द्वारा उपहार की घोषणा, (ii) प्राप्तकर्ता द्वारा उपहार की स्पष्ट या निहित स्वीकृति, और (iii) प्राप्तकर्ता को वास्तविक या सांकेतिक रूप से कब्जा सौंपना, पूर्ण किए जाने चाहिए; यह कि केवल इस कारण कि लेखन उपहार विलेख के बनाए जाने के समय का है, इससे धारा 17, पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण आवश्यक नहीं हो जाता।"

(ज़ोर दिया गया)

इस स्थिति को इस न्यायालय द्वारा **हफीज़ा बीबी बनाम एस.के. फ़रीद**24 में पुनः दोहराया गया।

"10. महबूब साहब बनाम सैयद इस्माइल [(1995) 3 SCC 693] में इस न्यायालय ने मोहम्मदन विधि के सिद्धांत, लेखक दिनशॉ फरदूंजी मुल्ला, 19वें संस्करण का संदर्भ दिया और पैरा 5 में उसमें निहित किसी मुस्लिम द्वारा किए गए उपहार के संबंध में विधिक स्थिति का इस प्रकार उल्लेख किया: (SCC pp. 696-97)

"5.... इस प्रकार, यह स्पष्ट होगा कि यद्यपि किसी मोहम्मदन द्वारा किया गया उपहार लिखित रूप में होना आवश्यक नहीं है और परिणामस्वरूप उसका पंजीकरण पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक नहीं है; तथापि उपहार के पूर्ण होने के लिए दाता द्वारा उपहार की घोषणा, प्राप्तकर्ता द्वारा या उसकी ओर से उपहार की स्पष्ट या निहित स्वीकृति, तथा उपहार की विषय-वस्तु संपत्ति का कब्जा दाता द्वारा प्राप्तकर्ता को सौंपा जाना आवश्यक है। प्राप्तकर्ता को उस संपत्ति का कब्जा या तो वास्तविक रूप से या सांकेतिक रूप से प्राप्त करना चाहिए। इन आवश्यक शर्तों के सिद्ध होने पर उपहार पूर्ण और वैध हो जाता है। अचल संपत्ति के मामले में, जो दाता के कब्जे में हो, दाता को उपहार की विषय-वस्तु से स्वयं को भौतिक रूप से पूर्णतः अलग कर लेना चाहिए।"

(ज़ोर दिया गया)

इस न्यायालय ने **डी.एन. जोशी बनाम डी.सी. हैरिस25**, में **हफीज़ा बीबी** (उपर्युक्त) के निम्नलिखित अवलोकन पर भरोसा किया:

"31...

27. "हमारे मत में, केवल इस कारण कि किसी मोहम्मदन द्वारा उपहार मौखिक रूप से करने के बजाय लिखित रूप में कर दिया गया है, ऐसा लेखन उपहार का औपचारिक दस्तावेज़ या विलेख नहीं बन जाता। जब कोई उपहार मोहम्मदन द्वारा मौखिक रूप से किया जा सकता है, तो उसके लिखित दस्तावेज़ के माध्यम से किए जाने मात्र से उसका स्वरूप और चरित्र नहीं बदल जाता। मोहम्मदन कानून के

अंतर्गत वैध उपहार के लिए महत्वपूर्ण यह है कि तीन आवश्यक शर्तें पूरी हों। रूप महत्वपूर्ण नहीं है। यदि तीनों आवश्यक शर्तें पूरी हो जाती हैं और एक वैध उपहार बनता है, तो केवल इस कारण कि वह साधारण कागज़ पर लिख दिया गया है, उपहार का लेन-देन अमान्य नहीं हो जाएगा। यह भेद कि यदि लिखित उपहार विलेख में पहले किए गए उपहार के तथ्य का उल्लेख हो, तो ऐसे विलेख का पंजीकरण आवश्यक नहीं है, लेकिन जब लेखन उपहार किए जाने के साथ-साथ किया गया हो, तो उसका पंजीकरण आवश्यक होगा—यह उचित नहीं है और हमें यह मोहम्मदन कानून में उपहार के नियमों के अनुरूप प्रतीत नहीं होता..."

(ज़ोर दिया गया)

28. मोहम्मदन कानून के अंतर्गत उपहार उसी प्रकार किया जाना चाहिए जैसा कि कानून में निर्धारित है। यदि उस कानून द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं, तो उपहार वैध होता है, भले ही वह पंजीकृत दस्तावेज़ द्वारा न किया गया हो। लेकिन यदि वे शर्तें पूरी नहीं की जाती हैं, तो उपहार वैध नहीं होता, भले ही वह पंजीकृत दस्तावेज़ द्वारा किया गया हो। इसलिए, एक वैध उपहार मौखिक कथनों के माध्यम से भी किया जा सकता है, बशर्ते कि ऊपर वर्णित तीनों आवश्यक शर्तें पूरी हों। इसका कारण यह है कि पंजीकरण ऐसी आवश्यकता नहीं है जो उपहार को लिखित रूप में किए जाने की अनिवार्यता उत्पन्न करे।

29. एक अन्य पहलू, जिस पर विचार किया जाना आवश्यक है, वह है म्यूटेशन प्रविष्टि। अपीलकर्ताओं का दावा है कि यद्यपि प्रविष्टि में 'partition' शब्द का उपयोग किया गया है, फिर भी इसे 'gift' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने यह माना है कि ऐसा संभव नहीं है और यदि प्रविष्टि में 'partition' लिखा है, तो उसे उसी रूप में पढ़ा जाना आवश्यक है।

30. इस तर्क को समझने के लिए दो पहलू महत्वपूर्ण हैं। एक, नामकरण का महत्व और दूसरा, म्यूटेशन प्रविष्टि का उद्देश्य।

31. आगे बढ़ने से पहले, म्यूटेशन प्रविष्टि को उद्धृत करना उपयुक्त होगा:

"सुल्तान अब्दुल खादेर शेक द्वारा अपनी दो पुत्रों के पक्ष में की गई संपत्ति के विभाजन का विवरण:"

---

23. [2014] 11 एससीआर 31 : (2014) 10 एससीसी 459

24. [2011] 5 एससीआर 1155 : (2011) 5 एससीसी 654

25. [2017] 7 एससीआर 326 : (2017) 12 एससीसी 624

	क्षेत्रफल	अकरा	कब्जाधारी
249/A1/1A	4 एकड़ एवं 3 गुंटा	1-79	शेक सुल्तान साहेब अब्दुल खादेर शेक
249/A1/1B	4 एकड़ एवं 15 1/4	1-80	मंसूर सिकंदर पिता - सुल्तान साहेब
249/A1/1C	4-15	1-80	

इससे, वादी के अनुसार ये दो पट्टे प्रभावी हुए।

निस्संदेह, यह स्थापित विधि है कि किसी लेन-देन की प्रकृति निर्धारित करने के लिए केवल उसका सार महत्वपूर्ण होता है, न कि उसका रूप या नामकरण। 'विभाजन' और 'उपहार' दो ऐसे शब्द हैं जिनकी आवश्यकताएँ भिन्न होती हैं, जिनके लिए अलग-अलग परिस्थितियाँ आवश्यक होती हैं और जिनके परिणाम भी अलग होते हैं। विभाजन, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सह-स्वामियों के बीच संपत्ति का बँटवारा है, जबकि उपहार किसी विद्यमान संपत्ति का स्वेच्छा से बिना प्रतिफल के किया गया हस्तांतरण है। इन दोनों हस्तांतरण के तरीकों की विधिक आवश्यकताएँ काफी भिन्न हैं और इसलिए इन्हें उदारतापूर्वक व्याख्यायित नहीं किया जा सकता।

32. विचार करने के लिए यह आवश्यक है कि दस्तावेज़ में लिखे गए शब्दों से प्रकट होने वाली मंशा क्या है, जैसा कि इस न्यायालय ने मथाई सैमुएल (उपर्युक्त) में कहा है:

"19. <u>किसी दस्तावेज़ की व्याख्या का प्राथमिक नियम निष्पादकों की मंशा है, जिसे दस्तावेज़ में प्रयुक्त शब्दों में ही खोजा जाना चाहिए।</u> प्रश्न यह नहीं है कि क्या मंशा मानी जा सकती थी, बल्कि यह है कि वास्तव में क्या कहा गया है। दस्तावेज़ की व्याख्या या अर्थनिर्णय का अभ्यास हमें केवल तभी करना चाहिए जब दस्तावेज़ अस्पष्ट हो या उसका अर्थ अनिश्चित हो। <u>यदि दस्तावेज़ में प्रयुक्त भाषा अस्पष्ट नहीं है और उसका अर्थ स्पष्ट है, तो स्पष्ट रूप से वही दस्तावेज़ के निष्पादकों की मंशा है।</u> ऐसी स्थिति में दस्तावेज़ के निष्पादन से संबंधित समकालीन घटनाएँ और परिस्थितियाँ प्रासंगिक नहीं होती हैं।

21. कॉलरिज, न्यायधीश ने शोर बनाम विल्सन [(1842) 9 Cl & Fin 355 : 8 ER 450 (HL)] [Cl & Fin at pp. 525-26] में निम्नलिख्ति अभिनिर्धारित किया: (ER pp. 517-18)

<u>"जिस मंशा की खोज की जानी है, वह वही मंशा है जो दस्तावेज़ में व्यक्त की गई है, न कि वह मंशा जो दस्तावेज़ बनाने वाले के मन में रही हो सकती है।</u> यह निर्विवाद है

कि सभी लिखित दस्तावेज़ों की व्याख्या का उद्देश्य लेखक के व्यक्त अर्थ या मंशा का पता लगाना होना चाहिए; व्यक्त अर्थ ही मंशा के समान है ... यह स्वीकार्य नहीं है ... कि किसी भी प्रकार का साक्ष्य, चाहे वह कितना ही प्रबल क्यों न हो, प्रस्तुत करके उस अव्यक्त मंशा को सिद्ध किया जाए जो प्रयुक्त शब्दों से व्यक्त मंशा से भिन्न हो। इस पर यह टिप्पणी अवश्य की जा सकती है कि यद्यपि हम लेखक की मंशा की व्याख्या करने का दावा करते हैं, फिर भी अनेक मामलों में हम उस मंशा के विपरीत निर्णय देने के लिए विवश हो सकते हैं, जिसके बारे में शायद ही संदेह हो कि वही वास्तविक मंशा रही होगी, और उस साक्ष्य को अस्वीकार कर सकते हैं जो किसी विशेष मामले में उसे सिद्ध करने के लिए अधिक संतोषजनक हो सकता है। इसका उत्तर यह है कि व्याख्याकारों को लेखक की मंशा की लिखित अभिव्यक्ति से ही काम करना होता है, और न्यायालयों को वही लागू करना होता है जो उसने लिखा है, न कि वह जो यह अनुमान लगाया जाए—चाहे कितने ही संभावित आधार क्यों न हों—कि वह केवल लिखना चाहता था।"

...

25. ... वसीयतकर्ता की मंशा का पता लगाने के लिए विचार का बिंदु यह नहीं है कि वसीयतकर्ता का क्या आशय था, बल्कि यह है कि उसने जो लिखा है उसका क्या अर्थ है। प्रायः यह कहा जाता है कि व्यक्त की गई मंशाएँ ही वास्तविक मंशाएँ मानी जाती हैं। इस न्यायालय ने ए. श्रीनिवास पाई बनाम सरस्वती अम्माल [(1985) 4 SCC 85] में यह कहा कि: (SCC पृ. 89, पैरा 4)

"4. ... किसी दस्तावेज़ की व्याख्या करते समय, चाहे वह अंग्रेज़ी में हो या किसी भी भारतीय भाषा में, अपनाया जाने वाला मूल नियम यह है कि उसमें प्रयुक्त शब्दों से व्यक्त मंशा का पता लगाया जाए।"

..."

(ज़ोर दिया गया)

33. किसी दस्तावेज़ में प्रयुक्त शब्दों को प्रयुक्त भाषा के संदर्भ में उनके स्वाभाविक अर्थ में समझा जाना चाहिए। किसी भी दस्तावेज़ की व्याख्या करते समय शब्दों को उनका सामान्य या प्रचलित अर्थ दिया जाता है, जब तक कि उससे कोई असंगति या अव्यवहारिक परिणाम न निकलता हो। लॉर्ड वेन्सलीडेल ने एक प्रसिद्ध उद्धरण में शाब्दिक व्याख्या के नियम को इस प्रकार बताया:

"वसीयत तथा वास्तव में विधियों और सभी लिखित दस्तावेज़ों की व्याख्या करते समय, शब्दों के व्याकरणिक और सामान्य अर्थ का पालन किया जाता है, जब तक कि उससे कोई असंगति, या दस्तावेज़ के अन्य भागों के साथ कोई विरोध या असंगतता उत्पन्न न हो; ऐसी स्थिति में उस असंगति या विरोध से बचने के लिए शब्दों के व्याकरणिक और सामान्य अर्थ में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है, पर उससे अधिक नहीं।"

(ज़ोर दिया गया)

34. म्यूटेशन प्रविष्टि संख्या 8258 (Ex.P1) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सुल्तान साहेब ने अपने पुत्रों के पक्ष में 'विभाजन' कराया। "सुल्तान अब्दुल खादेर शेक द्वारा संपत्ति का विभाजन किया गया" ये शब्द स्पष्ट रूप से उनकी मंशा को दर्शाते हैं कि उन्होंने संपत्ति को तीन भागों में बाँटना चाहा, और इसमें अपने पुत्रों को संपत्ति उपहार में देने की उनकी मंशा का कोई संकेत नहीं है। यदि सुल्तान साहेब की मंशा संपत्ति को उपहार में देने की होती, तो म्यूटेशन प्रविष्टि में इसे उपहार के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए था।

35. इसके अतिरिक्त, यह विधि में भली-भांति स्थापित है कि म्यूटेशन प्रविष्टि का उद्देश्य केवल राजस्व अभिलेखों तक सीमित होता है। वे किसी भी प्रकार से विषय-वस्तु संपत्ति के संबंध में किसी अधिकार (टाइटल) का सृजन या प्रदान नहीं करतीं। इस विधिक स्थिति को दर्शाने वाले कुछ निर्णय इस प्रकार हैं:

<u>सवर्णी बनाम इंदर कौर26</u> -

"7. राजस्व अभिलेख में संपत्ति का म्यूटेशन न तो स्वामित्व (टाइटल) का सृजन करता है और न ही उसे समाप्त करता है, और न ही इसका स्वामित्व के संबंध में कोई अनुमानित मूल्य होता है। यह केवल उस व्यक्ति को, जिसके पक्ष में म्यूटेशन का आदेश दिया गया है, संबंधित भूमि राजस्व का भुगतान करने में सक्षम बनाता है। ..."

जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य27 -

"7. वर्ष 1997 से ही विधि पूरी तरह स्पष्ट है। बलवंत सिंह बनाम दौलत सिंह (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि, जो (1997) 7 SCC 137 में प्रतिवेदित है, के मामले में इस न्यायालय को म्यूटेशन के प्रभाव पर विचार करने का अवसर मिला था और

यह कहा तथा निर्धारित किया गया कि राजस्व अभिलेखों में संपत्ति का म्यूटेशन न तो संपत्ति के स्वामित्व (टाइटल) का सृजन करता है और न ही उसे समाप्त करता है और न ही इसका स्वामित्व पर कोई अनुमानित मूल्य होता है। ऐसी प्रविष्टियाँ केवल भूमि राजस्व की वसूली के उद्देश्य से ही प्रासंगिक होती हैं। इसके पश्चात भी अनेक निर्णयों की श्रृंखला में इसी प्रकार का दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है।"

इस स्थिति को हाल ही में इस न्यायालय द्वारा ***पी. किशोर कुमार बनाम विट्ठल के. पाटकर28*** में पुनः दोहराया गया।

36. मामले की तथ्यात्मक परिस्थितियों पर आगे बढ़ते हुए, '*स्पष्ट और निर्विवाद मंशा की घोषणा*' की प्राथमिक आवश्यकता सिद्ध नहीं होती है। मूल प्रतिवादियों/अपीलकर्ताओं द्वारा परीक्षित गवाह DW2 (रसूलसाब) और DW3 (गुलाबसिंह) की गवाही कोई ऐसे प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत नहीं करती जिससे यह सिद्ध हो सके कि दाता सुल्तान साहेब के पास आवश्यक मंशा थी और उसी मंशा के साथ उन्होंने अपने पुत्रों के पक्ष में घोषणा की। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद, हमें ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के उस निष्कर्ष से भिन्न दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं मिलता, जिसमें इन गवाहों की गवाही पर विश्वास नहीं किया गया। ट्रायल कोर्ट के निर्णय का अवलोकन इस निष्कर्ष को और पुष्ट करता है, क्योंकि उसमें उद्धृत गवाहियों से स्पष्ट है कि वे केवल अस्पष्ट हैं; ऐसा प्रतीत होता है कि गवाह धुंधली पड़ती स्मृति के सहारे प्रासंगिक गवाही देने का भरसक प्रयास कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, म्यूटेशन प्रविष्टि में इन गवाहों का कोई उल्लेख भी नहीं है। यद्यपि अन्य दो आवश्यकताएँ, अर्थात स्वीकृति और कब्जा, सिद्ध हो गई हों, फिर भी स्पष्ट और निर्विवाद मंशा के साथ की गई घोषणा की अनिवार्य शर्त अपूर्ण ही रहती है, जो महत्वपूर्ण है। जब न तो म्यूटेशन प्रविष्टि के शब्द और न ही स्वयं वह प्रविष्टि किसी भी प्रकार से मूल प्रतिवादियों/अपीलकर्ताओं के दावे का समर्थन करती है, क्योंकि न तो इसे उपहार माना जा सकता है और न ही म्यूटेशन प्रविष्टि से यह सिद्ध होता है कि किसी प्रकार का स्वामित्व उनके पास है,

---

26. [1996] सप्ली. 5 एससीआर 165 : (1996) 6 एससीसी 223

27. 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 802

28. [2023] 14 एससीआर 796 : 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1483

इसलिए मूल प्रतिवादियों/अपीलकर्ताओं का मामला अनिवार्य रूप से विफल होना ही है। सुल्तान साहेब द्वारा अपने पुत्रों के पक्ष में किया गया मौखिक उपहार वैध उपहार नहीं माना जा सकता।

37. विधि से संबंधित प्रश्नों का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

38. पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में की गई हमारी चर्चा के परिणामस्वरूप, हमें उपहार और विभाजन से संबंधित प्रश्नों के संबंध में ट्रायल कोर्ट तथा हाई कोर्ट द्वारा दिए गए तर्कों में कोई त्रुटि नहीं मिलती। जहाँ तक पंजीकरण का प्रश्न है, उसका सही विधिक स्थिति पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में इस प्रकार बताई गई है कि वह उपहारों पर लागू नहीं होती और विभाजन पर पूर्णतः लागू नहीं होती, क्योंकि पूर्वज के जीवनकाल में यह अवधारणा इस व्यक्तिगत विधि की इस शाखा में स्वयं ही पराई है। ट्रायल कोर्ट द्वारा ओ.एस. संख्या 140/88 में पारित आदेश, जिसे हाई कोर्ट द्वारा आर.एफ.ए. संख्या 469/1998 के साथ आर.एफ.ए. संख्या 493/1998 को संयोजित कर पुष्टि की गई थी, उपर्युक्त शर्तों के अनुसार पुष्टि की जाती है। दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं।

39. मामले का समापन करने से पहले, हम वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ैफ़ा अहमदी द्वारा प्रदान की गई अमूल्य सहायता के लिए अपनी सराहना दर्ज करते हैं।

लंबित आवेदन (यदि कोई हों) का निस्तारण किया जाता है।

मामले का परिणाम: अपीलें खारिज।

† शीर्ष टिप्पणियाँ दिव्या पांडेय तैयार की गईं।

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|